आज का सुविचार
सपनों को साकार करने के लिए उठाया हर कदम महत्वपूर्ण है।

साप्ताहिक
युवा प्रदेश
Freedom Of Speech

RNI. NO. MPHIN/2015/76299

संपादक-नागेश नरवरिया

YP24 NEWS
जिले एवं तहसीलों में संवाददाता नियुक्त करना है.. संपर्क करे -9425156055

वर्ष 9, अंक- 93 | www.yuvapradesh.in | भोपाल, शुक्रवार 14 नवंबर 2025 | ypnews24@gmail.com | पृष्ठ -8 | मूल्य 2 रुपये

Fundamental Rights- कानून की किताब में धर्म, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, जानिए

कहते हैं कि धर्म अंतःकरण का विषय हैं इसे किसी पर जबर्दस्ती थोपा नहीं जा सकता है। इसका सीधा संबंध मन अर्थात आत्मा से होता है। मानकर कभी पूजा, अर्चना एवं आराधना नहीं कि जाती है। इसी कारण हमारे संविधान में सभी धर्मों को पूज्य माना गया है। प्राचीन काल के विद्वानों ने कहां है कि धर्म एक है, ईश्वर भी एक है, चाहे हम राम कहे या रहिम। बस उस तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग है।

युवा प्रदेश समाचार पत्र
- लेखक बीआर अहिरवार(एडवोकेट एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665

धर्म क्या है जानिए-

वैसे धर्म की परिभाषा करना बहुत कठिन है क्योंकि इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है लेकिन सामान्य आर्थो में कहे तो धारयते इति धर्मः आर्थत जो धारण किया जाये वही धर्म है, अत: जो अच्छा लगे वही धर्म है।

धर्म निरपेक्षता क्या है जानिए-

भारत सभी धर्मों का पोषक हैं यह किसी एक धर्म विशेष को प्राथमिकता नहीं देता है एवं न ही किसी व्यक्ति पर किसी धर्म विशेष को थोपता हैं। न धर्म निरपेक्षता ईश्वर विरोधी हैं न ईश्वर समर्थक। यह आस्तिक को भी मानता है और नास्तिक को भी। अगर कोई व्यक्ति नास्तिक हैं तो उसका धर्म वही है और आस्तिक हैं तो वही उसका धर्म हैं एवं भारत राष्ट्र सभी को मान्यता देगा यही धर्म-निरपेक्षता हैं।

भारतीय संविधान अधिनियम, 1950 के अनुच्छेद 25 की कानूनी परिभाषा

प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता हैं कि वह अपने अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं एवं उसे यह भी स्वतंत्रता हैं कि वह चाहे जिस माध्यम से ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हैं इतना ही नहीं उसे किसी भी धर्म के प्रति श्रद्धा और विश्वास व्यक्त करने की, कर्म कांड करने की, प्रचार प्रसार करने की, तीज त्यौहार मानने, अनुष्ठान आदि करने की पूर्ण स्वतंत्रता हैं।

Fundamental Rights - 14 साल से कम आयु के बच्चों से काम करवाना असंवैधानिक, जानिए

भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना ना केवल गैरकानूनी है बल्कि असंवैधानिक भी है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भारत के संविधान के द्वारा कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। आइए सुप्रीम कोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण फैसला पढ़ते हैं-

बाल श्रम मामले में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

महत्वपूर्ण निर्णय पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ एवं एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का श्रम करवाना असंवैधानिक हैं। राज्य का कर्तव्य है कि वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत बालकों के संरक्षण के लिए अनेक बाल कल्याणकारी योजनाएं लागू करे। जानते हैं भारतीय संविधान के अनुसार बालकों से श्रम करवाना कब संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है।

भारतीय संविधान अधिनियम, 1950 के अनुच्छेद 24 की परिभाषा: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किसी भी प्रकार के नियोजन, कारखाने, होटल, भवन निर्माण कार्य आदि मे 14 वर्ष से कम आयु के बालको को नियोजित करने के लिए प्रतिबंधित करती है एवं ऐसा करने पर अनुच्छेद 24 का उल्लंघन माना जाएगा एवं इस प्रकार कि कोई भी विधि संवैधानिक विधि नहीं होगी।

लेखक एडवोकेट बीआर अहिरवार नर्मदापुरम 9827737665

नए निवेश प्रस्तावों और औद्योगिक क्लस्टरों की स्थापना पर हुई बातचीत

मुख्यमंत्री ने एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में कंपनियों के प्रतिनिधियों से की वन-टू-वन चर्चा

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने %एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0% के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों से वन-टू-वन चर्चा की। इससे मध्यप्रदेश में निवेश संभावनाओं, औद्योगिक क्लस्टरों, तकनीकी केंद्रों और नवाचार आधारित परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। वन-टू-वन में आईटी, ड्रोन, एयरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, रक्षा, ईवी मैन्युफैक्चरिंग, फिल्म टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जैसे क्षेत्रों में निवेश, भूमि आवंटन, नीति प्रोत्साहन और प्रशिक्षण सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारतीय सेना के मेजर जनरल गौतम महाजन, ब्रिगेडियर एम.एस. रंधावा, ब्रिगेडियर दीपक पुरी, कर्नल मनोजित सिन्हा, लेफ्टिनेंट कर्नल अरिजीत चंद्र सेन से मुलाक़ात की। इस दौरान राज्य सरकार और भारतीय सेना के मिलिट्री कॉलेज ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बीच साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिये एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। यह समझौता रक्षा और नागरिक तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ कर मध्यप्रदेश को तकनीकी नवाचार में अग्रणी बनाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एएनएसआर ग्लोबल के सह-संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक श्री विक्रम आहूजा से मध्यप्रदेश में नया जीसीसी हब स्थापित करने के संबंध में चर्चा की।

केरला फेस्ट सांस्कृतिक एकीकरण का जीवंत उदाहरण: राज्यपाल

भोपाल। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि केरला फेस्ट सांस्कृतिक एकीकरण और भाईचारे की भावना का जीवंत उदाहरण हैं। मनोरंजन और सांस्कृतिक प्रदर्शन के अवसर के साथ ही केरल और मध्यप्रदेश के बीच समरसता का सशक्त सेतु है, जो मध्यप्रदेश को अपनी कर्म भूमि बनाने वाले मलयाली बहनों-भाइयों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव और हमारे देश की विविधता में एकता की भावना का सुंदर प्रतीक है। राज्यपाल श्री पटेल केरला फेस्ट सेकण्ड ऐडिशन के शुभारंभ कार्यक्रम में जन समुदाय को स्थानीय दशहरा मैदान में गुरूवार को संबोधित कर रहे थे।

ग्वालियर को स्मार्ट सिटी के रुप में पहचान मिलेगी : मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर

भोपाल। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गुरुवार को उप नगर ग्वालियर में 1.04 करोड़ से अधिक राशि की लागत से निर्मित होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया। मंत्री श्री तोमर ने आसमानी माता मंदिर होटल क्लार्क इन के पास वार्ड क्रमांक-33 स्थित विभिन्न गलियों में एक करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले सीवर लाइन कार्य का भूमि-पूजन किया। आसमानी माता मंदिर होटल क्लार्क इन के पीछे 4 लाख रुपये लागत के नलकूप खनन कार्य का भी भूमि-पूजन किया। मंत्री श्री तोमर ने कहा कि विकास की दिशा में यह कदम स्वच्छता, सुरक्षित जल और बेहतर जीवन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

लिवर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग,लिवर खराब होने से कैसे बचाएँ?जानिए स्वस्थ लिवर के लिए जरूरी बातें

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश

हम सब अपने दिल (Heart) की बहुत चिंता करते हैं, लेकिन शरीर का एक और बहुत ज़रूरी अंग है – हमारा लिवर (जिगर या कलेजा)। लिवर, हमारे शरीर का फ़िल्टर या फैक्ट्री है। यह खून को साफ़ करता है, खाने को पचाने में मदद करता है, शरीर से ज़हरीली चीजों को बाहर निकालता है और ताकत जमा करके रखता है। पहले लिवर की बीमारी (जैसे फैटी लिवर, पीलिया) को सिर्फ बहुत ज़्यादा शराब पीने वालों की बीमारी माना जाता था। लेकिन आजकल गलत खान-पान, तेल-मसाले और बढ़ते वज़न के कारण यह समस्या हमारे गाँवों में भी आम हो गई है। अगर हमारा फ़िल्टर ही जाम हो जाएगा, तो शरीर की पूरी मशीनरी ठप पड़ सकती है। अच्छी बात यह है कि हम अपनी आदतों में कुछ साधारण बदलाव करके अपने लिवर को तगड़ा रख सकते हैं। यहाँ 10 ज़रूरी बातें दी गई हैं, जिन पर अमल करके लिवर खराब होने के ख़तरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है शराब (दारू) लिवर की सबसे बड़ी दुश्मन लिवर के लिए शराब

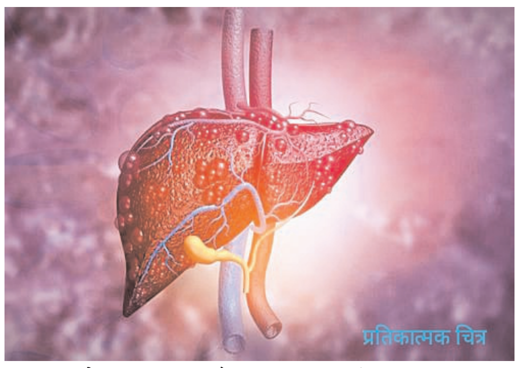
प्रतिकात्मक चित्र

ज़हर के समान है। यह सीधे लिवर की कोशिकाओं (Cells) को मारती है, जिससे लिवर पहले सूज (फैटी लिवर) जाता है और फिर सिकुड़ने (सिरोसिस) लगता है। चाहे देसी हो या अंग्रेजी, अगर लिवर को बचाना है, तो शराब से पूरी तरह तौबा कर लें। चिकनाई और तेल-घी का इस्तेमाल कम करें हम जो भी ज़्यादा तला-भुना (पूरी, कचौड़ी, समोसा, परांठा) खाते हैं, उसकी फालतू चरबी (Fat) लिवर पर जमा होने लगती है। इसे ही फैटी लिवर कहते हैं। यह लिवर की ख़राबी की पहली सीढ़ी है। खाने में तेल-घी का प्रयोग कम से कम करें। मीठे (चीनी) से भी परहेज़ करें सिर्फ तेल ही नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा चीनी भी लिवर को नुकसान पहुँचाती है। ज़्यादा मीठी चाय, कोल्ड ड्रिंक, बाज़ार की मिठाई और पैकेट वाले जूस, लिवर में जाकर चरबी में बदल जाते हैं।घर का सादा भोजन और साफ़-सफ़ाई रखें घर का बना ताज़ा खाना (दाल, रोटी, हरी सब्ज़ियाँ, छाछ, दही) लिवर के लिए सबसे अच्छा है। हमेशा साफ़ और ढका हुआ खाना खाएं और पीने के लिए साफ़ पानी (जैसे हैंडपंप या फ़िल्टर) का इस्तेमाल करें। गंदे खाने और गंदे पानी से पीलिया (Hepatitis) होने का ख़तरा रहता है।वज़न को काबू में रखें मोटापा सिर्फ दिल के लिए ही नहीं, लिवर के लिए भी ख़तरनाक है। शरीर पर चढ़ी फालतू चरबी लिवर पर भी दबाव डालती है। शरीर को चलाते रहें (मेहनत करें) अगर आपका काम ज़्यादा बैठने का है, तो भी रोज़ 30-40 मिनट तेज़ पैदल ज़रूर चलें। जो लोग खेत-मज़दूरी या शारीरिक मेहनत करते हैं, उनका लिवर मज़बूत रहता है। कसरत करने से लिवर पर जमा फैट कम होता है। अंधाधुंध एलोपेथिक दवाइयाँ न खाएं यह बहुत ज़रूरी बात है। कई लोग हर छोटे-मोटे दर्द के लिए तुरंत गोली (Painkiller) खा लेते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के खाई गई दवाइयाँ और एंटीबायोटिक सीधे लिवर पर हमला करती हैं।शुगर (Diabetes) को हल्के में न लें जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, उन्हें फैटी लिवर होने का ख़तरा कई गुना ज़्यादा होता है। अपनी शुगर को हमेशा काबू में रखें और डॉक्टर की सलाह मानते रहें। एक सुई (Needle) का दोबारा इस्तेमाल न करें गंभीर पीलिया (Hepatitis B और C) एक ही सुई को कई लोगों पर इस्तेमाल करने, या गंदे औज़ारों से टैटू बनवाने से फैलता है। हमेशा नई (Disposal) सुई का ही इस्तेमाल करें। पीलिया या पेट दर्द को नज़रअंदाज़ न करें लिवर की बीमारी के कुछ लक्षण हैं, जिन्हें लोग गैस या कमजोरी समझकर टाल देते हैं लक्षण जैसे अगर आँखें या नाखून पीले पड़ें (पीलिया), भूख लगनी बंद हो जाए, पेट के ऊपरी हिस्से (दाईं तरफ) में लगातार दर्द रहे, या पेट फूलने लगे (पानी भरे)। ऐसे में झाड़-फूँक या घरेलू नुस्खों में समय बर्बाद न करें। तुरंत नज़दीकी सरकारी अस्पताल जाकर डॉक्टर को दिखाएँ। हमारा लिवर शरीर का सबसे मेहनती अंग है। इन आसान बातों को अपनी आदत में शामिल करके आप अपने शरीर के फ़िल्टर को लंबे समय तक सेहतमंद रख सकते हैं।

ओपीडी से नदारद चिकित्सकों पर सीएमएचओ की कार्यवाही वेतन काटकर थमाया नोटिस

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश

स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सीएमएचओ भोपाल डॉ. मनीष शर्मा द्वारा गुरुवार को शहर की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सिविल डिस्पेंसरी बागसेवनिया, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोकता, संजीवनी क्लीनिक हबीबिया स्कूल में चिकित्सकों के न मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इन सभी चिकित्सकों के 7 दिनों की वेतन कटौती भी की गई है। इसके साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए वरिष्ठ कार्यालय को जानकारी भेजी जा रही है। निरीक्षण में सुबह 9:30 बजे सिविल डिस्पेंसरी बागसेवनिया में संस्था प्रभारी डॉ. स्मिता लाड अनुपस्थित मिली। सीएमएचओ द्वारा डॉ. लाड की उपस्थिति का मिलान सार्थक एप एवं उपस्थिति रजिस्टर से किया गया। संबंधित चिकित्सक की अक्टूबर माह में सार्थक एप में दर्ज उपस्थित की जानकारी के सत्यापन और उसके अनुरूप वेतन आहरण को लेकर सिविल सर्जन को पत्र भेजा गया है ।सुबह 10:30 बजे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोकता में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ. सलोनी सिंह अनुपस्थित मिली। जबकि सार्थक एप पर उनकी उपस्थिति दर्ज थी। इस सम्बन्ध में सीएमएचओ द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसी प्रकार सुबह 11:30 बजे तक संजीवनी क्लिनिक हबीबिया स्कूल न पहुंचने पर डॉ. समरीन खान को भी नोटिस जारी किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि ओपीडी के निर्धारित समय पर चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए नियमित तौर पर निरीक्षण किया जा रहा है। लगातार तीन नोटिस के बाद भी कार्य में सुधार न होने पर संबंधितों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी भेजी जाएगी। वेतन आहरण करने के पूर्व सार्थक ऐप से उपस्थित का मिलान सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

जनजातीय समुदाय का सशक्तिकरण हो लक्ष्य मुख्य सचिव ने जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश

जनजातीय गौरव दिवस 2025 धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा 150वीं जयंती समापन वर्ष के कार्यक्रम में स्थानीय जनजाति समुदाय के सशक्तिकरण के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सोमवार को मंत्रालय में 15 नवम्बर को होने वाले जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम की तैयारियों की बैठक लेकर समीक्षा की। राज्य स्तरीय समारोह जबलपुर और आलीराजपुर में आयोजित होंगे। राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सम्मिलित होंगे। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि राज्य-स्तरीय कार्यक्रम के अलावा जिलों, विकासखंडो में स्थानीय कार्यक्रमों के साथ ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं में गौरव दिवस आयोजित किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि जनजातीय हितग्राहियों से संबंधित समस्त विभागों की योजनाओं तथा नवाचारों की प्रदर्शनी लगाई जाए। आयुष्मान योजना और सिकल सेल एनीमिया के कार्ड वितरण के अतिरिक्त आदि कर्मयोगी अभियान, पीएम जन-मन एवं धरती आबा अभियान के तहत गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएं।स्वास्थ्य विभाग सिकल सेल एनीमिया पर केंद्रित स्वास्थ्य शिविर और मोबाइल मेडिकल यूनिट का प्रदर्शन करेगा।

उदयपुरा में हुई जनसुनवाई —

200 से अधिक आवेदन आए 50 का त्वरित निराकरण शेष आवेदन संबंधित अधिकारियों को जांच लिए भेजे

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

उदयपुरा (रायसेन)। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार तहसील प्रांगण उदयपुरा में जिला प्रशासन द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा ने स्वयं उपस्थित रहकर आमजन की समस्याएँ सुनीं 200 से अधिक आवेदन आए 50 का त्वरित निराकरण शेष आवेदन संबंधित अधिकारियों को जांच लिए भेजे और संबंधित विभागों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। कार्यक्रम में सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे और अपने-अपने विभागों से संबंधित आवेदनों पर त्वरित समाधान प्रस्तुत किया। जनसुनवाई में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों और आम नागरिकों ने अपनी समस्याएँ रखीं — जिनमें भूमि, राजस्व, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और सामाजिक न्याय विभाग से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रहीं। कलेक्टर ने कई आवेदनों पर मौके पर ही निराकरण करते हुए कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य जनता की समस्याओं को सुनकर त्वरित न्याय दिलाना है। प्रशासन जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर है। जनसुनवाई के दौरान लोगों ने प्रशासन की इस पहल की प्रशंसा करते हुए इसे जनहित में एक सकारात्मक कदम बताया।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास में साप्ताहिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, विद्यार्थियों ने दिखाई खेल प्रतिभा

हल्केवीर सूर्यवंशी, संभागीय संवाददाता

बरेली, रायसेन। अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग के तत्वावधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास बरेली में साप्ताहिक खेल प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, शारीरिक विकास और टीम भावना को प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ वार्डन एवं छात्रावास अधीक्षक की उपस्थिति में किया गया। खेल प्रतियोगिताओं में छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कबड्डी, खो-खो, क्रिकेट, दौड़, वॉलीबॉल और रस्साकस्सी जैसे खेलों में विद्यार्थियों ने अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विजेताओं को अंत में पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों ने छात्रों को संदेश देते हुए कहा कि खेल न केवल शरीर को मजबूत बनाते हैं, बल्कि आत्मविश्वास और अनुशासन भी सिखाते हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन में छात्रावास के समस्त कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों का विशेष योगदान रहा। पूरे आयोजन के दौरान उत्साह और जोश का माहौल बना रहा।

स्मार्ट सिटी के स्मार्ट चोरों को पुलिस ने भेजा जेल

- **04 आरोपी गिरफ्तार, चोरी गया मशरुका, औजार एवं मोटरसाइकिल जप्त**
- **कोतवाली अनूपपुर पुलिस ने जज के यहाँ चोरी करने वाले चोरों को 24 घंटे मे पकड़ा**

अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ

अनूपपुर। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जगन्नाथ मरकाम एवं एस.डी.ओ.पी. श्री सुमित केरकेट्टा के मार्गदर्शन में कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा अनूपपुर नगर के स्वामी विवेकानन्द स्मार्ट सिटी के दो सूने घरो में रात्रि में ताला तोड़कर चोरी के मामले में तत्परता पूर्वक 24 घण्टे के भीतर खुलासा करते हुए 04 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गया मसरूका, मकान का ताला तोड़ने में प्रयुक्त औजार एवं मोटर सायकल जप्त की गई है। दिनांक 11.11.2025 को सूचनाकर्ता श्री अमर महरा पिता स्व. यमुना महरा उम्र 24 वर्ष निवासी वार्ड नं. 09 अमलाई थाना चचाई अनूपुर के द्वारा अनूपपुर नगर में स्थित स्वामी विवेकानंद स्मार्ट सिटी में किराये से रहने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं सचिव म.प्र. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर श्री विनोद वर्मा के किराये के मकान नंबर 138 के प्रवेश व्दार पर लगी कुन्डी एवं ताला टूटे होने की जानकारी दिये जाने पर तत्काल घटना की जानकारी टी.आई. कोतवाली अनूपपुर अरविन्द जैन व्दारा पुलिस अधीक्षक महोदय अनूपपुर श्री मोती उर रहमान एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। मजिस्ट्रेट के दिल्ली जाने पर घर पर कोई नहीं था। सूचना पर तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री जगन्नाथ मरकाम, एसडीओपी अनूपपुर श्री सुमित केरकेट्टा, टी. आई. कोतवाली अरविन्द जैन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घटना स्थल को सुरक्षित किया गया एवं मौके पर उपस्थित भृत्य श्री अमर महरा की रिपोर्ट पर धारा 331(4),305(ए) बी.एन.एस. की जीरो की देहाती नालसी लेख बद्ध की जाकर थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्र. 529/2025 धारा 331(4),305(ए) बी.एन.एस. पंजीबद्ध किया गया है। इसी तरह सूचनाकर्ता प्रशांत रात्रे स/ह आई.पी. रात्रे उम्र 36 वर्ष निवासी स्मार्ट सिटी अनूपपुर के द्वारा सूने पड़े मकान नम्बर 167 का रात्रि में ताला तोड़कर चोरी किये जाने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 530/25 धारा 331(4),305 (ए) बी.एन.एस. पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान जी के निर्देशन में घटना स्थल का निरीक्षण मजिस्ट्रेट श्री विनोद वर्मा जी की उपस्थिति में एफ.एस. एल वैज्ञानिक अधिकारी शहडोल डाक्टर श्री प्रदीप अहिरवार, फिंगर प्रिन्ट विशेषज्ञ उपनिरीक्षक श्री गिरिजा शंकर गौतम, पुलिस डाग वीरा हेण्डलर आरक्षक विकास अहिरवार के साथ घटना स्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य एकत्र किये गये। पुलिस डाग से घटना स्थल पर स्मेल कराई जाकर अज्ञात आरोपियों के आने जाने के रास्तों की पतासाजी एवं सुरागरसी की गई। घटना स्थल से फिगर प्रिंट उपनिरीक्षक श्री गिरिजा शंकर गौतम व्दारा चान्स प्रिंट लिये गये। प्रकरण में एक हांथ घड़ी एवं बच्चों के गुल्लक के नगदी रूपये एवं चिल्लर कुल करीब 20,000-/ रूपये नगदी चोरी जाना पाया गया है। प्रकरण के घटना स्थल मकान नंबर 138 स्वामी विवेकानंद स्मार्ट सिटी के चारों ओर पुलिस टीमें लगाई जाकर सर्चिग कराई गई जो पीछे के बाउण्डी बाल के पास नीचे जमीन पर डले हुये नगदी 4500-रूपये एवं एक ऊनी टोपा एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जप्त किये गये। घटना स्थल के चारों ओर एवं आने जाने वालों रास्तों में लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जाकर आवश्यक फुटेज प्राप्त किये गये । पुलिस व्दारा सघन जांच पड़ताल की जाकर उक्त दो सूने घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 04 आरोपियों सोनू सिहं वादी पिता गुनी परस्ते उम्र 22 वर्ष निवासी छपराटोला लखनपुर, विमलेश नायक पिता महिपाल नायक उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम लखनपुर, मदन नायक पिता अमरसिहं नायक उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम लखनपुर, गुलाब नायक पिता जीता नायक उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम जमुडी को गिरफ्तार किया जाकर आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया सामान, नगदी रूपये एवं वारदात में प्रयुक्त लोहे की राड, कटर एवं वारदात हेतु आने जाने में प्रयुक्त मोटर सायकल जप्त की गई है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों का पुलिस रिमाण्ड लिया जाकर अन्य चोरियों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है।

ऊनी टोपा से पुलिस को मिला अहम सुरागः कोतवाली पुलिस द्वारा घटनास्थल के चारो ओर एक बड़े क्षेत्र में सर्चिग अभियान चलाया गया जो एफ.एस.एल. अधिकारी एवं पुलिस डाग के साथ की गई सर्चिग के दौरान स्मार्ट सिटी के पीछे की बाऊण्ड्रीवाल के पास एक ऊनी टोपा पुलिस को सर्चिग में मिला जिसके द्वारा आसपास के सीसीटीवी फुटेज में टोपा पहने व्यक्तियों से मिलान किया जाकर अज्ञात आरोपियों तक पहुंचने में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री माती उर रहमान द्वारा टी. आई. कोतवाली अरविन्द जैन एवं उनकी टीम उपनिरीक्षक प्रवीण साहू, फिन्गर प्रिन्ट उपनिरीक्षक गिरजाशंकर गौतम, सहायक उपनिरीक्षक पवन प्रजापति, प्रधान आरक्षक शिवशंकर प्रजापति, प्रधान आरक्षक शंख रसीद, आरक्षक प्रकाश तिवारी आरक्षक अब्दुल कलीम, सायबर सेल प्रभारी राजेन्द्र अहिरवार, आरक्षक पंकज मिश्रा, पुलिस डाग हैण्डलर आरक्षक विकास अहिरवार को पुरूष्कृत किये जाने की घोषणा की गई है।

शासकीय सांदीपनी स्कूल नोनिया बरेली में अव्यवस्थाओं का बोलबाला, बच्चों की पढ़ाई पर संकट

हल्केवीर सूर्यवंशी, संभागीय संवाददाता

उदयपुरा, नोनिया बरेली। शासकीय सांदीपनी स्कूल नोनिया बरेली इन दिनों अव्यवस्थाओं का केंद्र बनता जा रहा है। स्कूल परिसर में गंदगी का आलम फैला हुआ है, न खेल मैदान की व्यवस्था है और न ही बच्चों के लिए स्वच्छ पानी व शौचालय की उचित सुविधा उपलब्ध है। इन गंभीर समस्याओं के कारण छात्रों की पढ़ाई और स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार प्रभावित हो रहा है। स्कूल में बच्चों को न पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है और न ही शौचालयों की नियमित साफ-सफाई की कोई व्यवस्था है। कई स्थानों पर पानी निकासी की समस्या और कचरे के ढेर साफ दिखाई देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि स्कूल

प्राचार्य हेमंत गोर ने भी स्वीकार किया है कि स्कूल में गंदगी की समस्या बनी हुई है और इसके समाधान के लिए उच्च अधिकारियों से सहयोग की आवश्यकता है। ग्रामीणों से भी इस सिलसिले में बात की तो उन्होंने भी नकारते हुए कहा स्कूल में पढ़ाई का माहौल नहीं है बच्चे यहां वहां घूमते है शिक्षक ध्यान नहीं देते।

कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं अपात्र शामिल न हो ईसीआई की निदेशक ने की एसआईआर की तैयारियों की समीक्षा

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की निदेशक शुभ्रा सक्सेना ने भोपाल कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में बैठक आयोजित कर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तैयारियों और प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और त्रुटिरहित रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निदेशक ने कहा कि भोपाल जिले को एसआईआर में उत्कृष्ट कार्य कर देश में मॉडल प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि राजधानी से तैयार किया गया एसआईआर मॉडल पूरे प्रदेश के लिए अनुकरणीय हो, इसके लिए सभी ईआरओ और बीएलओ मैदानी स्तर पर पूरी गंभीरता से कार्य करें। बीएलओ एप पर मैपिंग कम होने पर उन्होंने नाराजगी जताई और बीएलओ से ऑनलाइन डेटा एप पर शीघ्र अपलोड करने के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर एवं नगर निगम आयुक्त को शहरी क्षेत्र में बीएलओ के साथ संयुक्त रूप से एसआईआर का कार्य करने और नगर निगम कार्यालय में हेल्प डेस्क को और सशक्त बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि भोपाल जिले में सभी एसडीएम कार्यालय एसआईआर कार्य कर रहे हैं। निदेशक ने सभी ईआरओ को निर्देशित किया कि आगामी 7 दिनों में 2003 की मतदाता सूची से मिलान कर पात्र मतदाताओं की बीएलओ एप पर शत-प्रतिशत मैपिंग सुनिश्चित की जाए। भोपाल के स्लम क्षेत्रों में विशेष कैम्प आयोजित कर एसआईआर के कार्य को गति देने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में निदेशक ने मैदानी स्तर पर कार्य कर रहे बीएलओ से वन-टू-वन चर्चा की और कहा कि एसआईआर की कार्यवाही के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो। उन्होंने कहा कि एसआईआर का मुख्य उद्देश्य शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना है, जो पूरी तरह पारदर्शिता के साथ हो। उन्होंने आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची को 2003 की सूची से लिंक करने और जिनका नाम उसमें नहीं है, उन्हें वंशावली के मतदाताओं से लिंक करने के निर्देश भी दिए। बीएलओ को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने तथा बीएलओ एप का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किए जाने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी मतदाताओं को गणना फार्म समय पर वितरित किए जाएं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार सभी ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। एसआईआर के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है तथा बीएलओ के सहयोग के लिए अन्य कर्मचारियों की भी नियुक्ति की गई है। उन्होंने जानकारी दी कि जिले में 4 नवंबर से एसआईआर कार्ययोजना के अनुसार कार्य प्रारंभ हो चुका है और यह कार्य पूरी पारदर्शिता एवं तत्परता के साथ संपादित किया जा रहा है।

युवा उत्सव 2025-26 में सिलवानी महाविद्यालय चमका, जिला स्तरीय प्रतियोगिता में पहला स्थान।

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

सिलवानी रायसेन। युवा उत्सव 2025-26 के तहत आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शासकीय महाविद्यालय सिलवानी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिला स्तर पर जीत के बाद अब महाविद्यालय की टीम का चयन संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। यह प्रतियोगिता दिनांक 08 अक्टूबर 2025 को अब्दुल्लागंज में आयोजित हुई थी। सिलवानी महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने अपनी कला, प्रतिभा और शानदार प्रस्तुति से सभी को प्रभावित किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रमुख डॉ. प्रतिभा डेहरिया तथा श्री राघवेन्द्र राजपूत द्वारा विद्यार्थियों को निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया गया, जिससे छात्रों का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ा।

जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित विद्यार्थी

यशपाल, संदीप, आकाश, हर्षित, संजना, संजना, अनुप्रिया, सुहानी, सौरभ, अमित और सिद्धार्थ।

अधिकारियों और शिक्षकों ने विजेता टीम को बधाई देते हुए कहा कि— सभी विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। आप आगे भी इसी तरह सफलता प्राप्त कर महाविद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन करें।

उदयपुरा जनसुनवाई में दलित परिवार ने दबंग समाज पर अवैध कब्ज़ा, जातीय उत्पीड़न और जान माल की धमकी के गंभीर आरोप लगाए। कलेक्टर को दिया आवेदन।

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

उदयपुरा/रायसेन। जनसुनवाई केंद्र उदयपुरा में मंगलवार को एक दलित परिवार श्रीमती विद्या कटियार पत्नि चेतराम कटियार, रीतेश, मयंक, पिता चेतराम कटियार, श्रीमती घुरको बाई पत्नि माखनलाल ने कलेक्टर की जनसुनवाई में उपस्थित होकर गांव के दबंग समाज के कुछ लोगों और उनके परिजनों पर उनकी कृषि भूमि पर अवैध कब्ज़ा करने, खेत में जाने के रास्ते को रोकने, फसल नष्ट करने, जातीय गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला ने बताया कि पिछले कई वर्षों से वे लगातार आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, परंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। परिवार का कहना है कि वर्ष 2008ङ्क09 में उन्होंने ग्राम शोभापुर में करीब 26.5 एकड़ भूमि खरीदी थी। खरीद के समय से ही गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा जिनमें हक्कादास, नंदनदास, कृष्णकुमार, ब्रजमोहनदास, ओमप्रकाश व उनके परिजन नरेशदास इत्यादि लगातार विवाद खड़ा करते है। पीड़ितों ने बताया कि कई बार सरकारी अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद दबंग पक्ष द्वारा अवैध कब्ज़ा हटाया नहीं गया और खेत तक पहुंचने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है, जिसके चलते खेती का कार्य पिछले दो वर्षों से प्रभावित है और उन्हें करीब 20 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हो चुका है।

पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए मुख्य आरोप : खेत तक पहुंचने वाला रास्ता बंद कर खेती करना असंभव बना दिया गया। शिकायतों के बावजूद तहसील व पुलिस स्तर पर लंबित प्रकरणों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपियों ने जातीय अपमान किया और खेत में कब्ज़ा जमाने की कोशिश की। धमकियां देकर परिवार को गांव छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। महिलाओं का आरोप—हमारी बात न सुनने पर हम सामूहिक रूप से आत्महत्या के लिए विवश होंगे। परिवार ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, मानवाधिकार आयोग, पुलिस अधीक्षक सहित उच्च अधिकारियों को भी प्रतिलिपि भेजकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

जनसुनवाई में आवेदन प्राप्त होने के बाद कलेक्टर कार्यालय द्वारा पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए जाने की उम्मीद है। पीड़ित परिवार ने मांग की है कि अवैध कब्ज़ा तत्काल हटाया जाए और खेत तक अस्थायी/स्थायी मार्ग उपलब्ध कराया जाए।

राजकुमार अहिरवार बने अहिरवार समाज संघ के बैरसिया विधानसभा क्षेत्र 149 अध्यक्ष

अहिरवार समाज संघ मध्य प्रदेश में कई सालों से समाजिक कार्यों में निरंतर सेवाएं दे रहा है संघ ने प्रदेश में हो रहे सामाजिक भेदभाव का विरोध कर इन्हें समाप्त करने की बात भी समाजिक सेवकों के बीच रखता रहा है अहिरवार समाज संघ इसी परिवर्तन के पहल को मजबूत करने के लिए युवाओं को भी अपनी विचारधारा से जोड़ रहा है राजकुमार अहिरवार भी इसी पहल की कड़ी है राजकुमार अहिरवार के बारे में आपको बता दें कि वह लंबे समय से जिले के समाजिक/राजनीतिक श्रेत्र में हो रहे सभी गतिविधियों में शामिल भी रहे हैं साथ ही उन्होंने समाजिक परिवर्तन के लिए हर तरह से प्रयास भी करते रहते हैं राजकुमार अहिरवार का कहना है कि जब तक युवा वर्ग समाजिक परिवर्तन के लिए आएगा तब तक समाजिक / राजनीति न्याय व्यवस्था को मजबूत करने प्रयास भी करते रहना पड़ेगा राजकुमार अहिरवार ने ज्यादा ज्यादा समय समाज को दिया है उनका कहना है कि अहिरवार समाज संघ के संस्थापक चौधरी अमन नरवरिया जी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश अहिरवार जी के द्वारा अहिरवार समाज संघ ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मे उसे ईमानदारी एवं पूरी निष्ठा से निभाने की कोशिश करूंगा बैरसिया विधानसभा में अहिरवार समाज केलोगों को समाजिक राजनीति चेतना के द्वारा जागरूक करता रहुगा एवं कुरीतियों के खिलाफ जो सघ का नियम है उसका पालन करूंगा एवं समाज में उसकी महत्वत्ता का प्रचार प्रसार करुंगा।

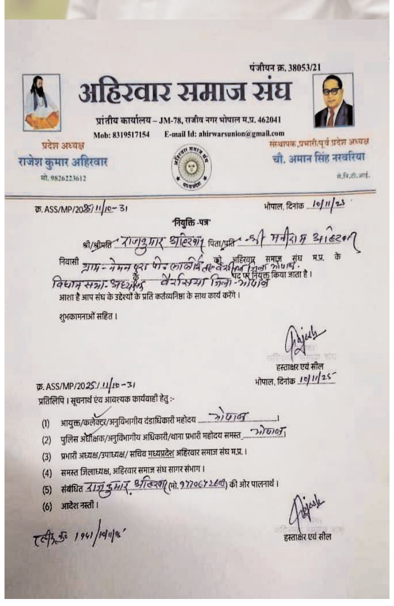

अहिरवार समाज संघ

श्री श्याम जन्मोत्सव व शोभायात्रा का हुआ भव्य आयोजन

खाटू श्याम के भजनों से झूम उठा पूरा उदयपुरा, भक्ति में डूबे श्रद्धालु

हल्केवीर सूर्यवंशी, संभागीय संवाददाता

उदयपुरा। एक शाम बाबा श्याम के नाम कार्यक्रम के तहत उदयपुरा में भव्य श्री श्याम जन्मोत्सव एवं शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। ब्रह्म नगर स्थित आयोजन स्थल पर रविवार, 2 नवम्बर को सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 2ः00 बजे शोभायात्रा के साथ हुई, जिसमें सजे-धजे रथ, आकर्षक झांकियां, पुष्प वर्षा और अखंड ज्योति ने सभी का मन मोह लिया। पूरे नगर में जय श्री श्याम के जयघोष गूंजते रहे। रात्रि 8ः00 बजे से शुरू हुई भजन संध्या में भक्तगण झूम उठे। प्रसिद्ध भजन गायक यशी चौरसिया (जबलपुर), मुकेश विश्वकर्मा (उदयपुरा, सुल्तानगंज रायसेन) तथा सलोनी जैन ने अपनी मधुर आवाज़ में एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए। मां रेवां म्यूजिकल ग्रुप उदयपुरा द्वारा संगीतमय प्रस्तुति ने माहौल को और अधिक भक्ति भाव से सराबोर कर दिया। इस दौरान भव्य दरबार, दंपत्ति भोग, इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा, आलोकित श्रृंगार और अखंड ज्योति जैसी आकर्षक झांकियों ने आयोजन की शोभा बढ़ाई। आयोजन का संचालन करने वाले श्याम, कराने वाले श्याम संस्था द्वारा किया गया, जबकि श्री श्याम परिवार उदयपुरा ने श्रद्धालुओं के स्वागत और भव्य व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाई। पूरा उदयपुरा इस रात बाबा श्याम की भक्ति में डूबा नजर आया — हर ओर प्रेम, संगीत और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला।

आयोजन करता

प्रशांत खटीक, कन्हैया धाकड़, पवन मदोरिया, सचिन विश्वकर्मा, विनय मदोरिया, रवि कुशवाहा, नकुल मदोरिया, लालू कुशवाहा, हर्षित मदोरिया, यश मदोरिया, पंकज सोनी, मोनू धाकड़, अजय खटीक, सोम खटीक, शुभ खटीक, निलेश धाकड़, मोहित साहू, अनु विश्वकर्मा एवं समस्त श्याम परिवार मित्र मंडली उदयपुरा।

अपर कलेक्टर के आदेश को पूर्व उपसरपंच ने दिखाया ठेंगा अवैध जमीन पर धड़ल्ले से चल रहा पेट्रोल पंप बनाने का काम

राजू राय - संभागीय संवादाता

शहडोल/जयसिंहनगर। ग्राम पंचायत अमझोर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा का मामला सामने आया है। पटवारी से सांठगांठ कर अमझोर ग्राम पंचायत के पूर्व उपसरपंच ने बड़ा घोटाला किया है। सबसे पहले तो सरकारी जमीन पर कब्जा किया और अब उस पर पेट्रोल पंप बनाने की तैयारी चल रही है। अपर कलेक्टर ने निर्माणाधीन जमीन पर रोक भी लगा दी है, लेकिन पूर्व उपसरपंच डंके की चोट पर प्रशासन के आदेश को ठेंगा दिखा रहा है।

क्या है पूरा मामला

ग्राम पंचायत के पूर्व उपसरपंच चंद्रमा तिवारी ने अमझोर के पूर्व पटवारी श्रुति तिवारी के साथ मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज तैयार करवाया। फिर चरकानाला (अमझोर) पर स्थित शासन की भूमि खसरा क्रमांक 179 रकबा 5.64 एकड़ के अंश रकबा 179/3/1 पर कब्जा कर लिया और कागजों में उस जमीन पर अपना मालिकाना हक बताया और फिर उस पर जोरशोर से पेट्रोल पंप का काम शुरू हो गया।

अवैध कब्जा में किसने दिया साथ: चंद्रमा तिवारी ने पेट्रोल पंप बनवाने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आवेदन दिया। ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों से फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र तैयार करके आवेदन के साथ जमा किया और उस पर पेट्रोल पंप काम शुरू हो गया।

कैसे भ्रष्टाचार का हुआ पर्दाफाश: जयसिंहनगर के मशहूर वकील रूद्र प्रताप सिंह ने इस मामले को लेकर अपर कलेक्टर शहडोल के कोर्ट में निगरानी आवेदन साल 2023-24 में किया, जिसमें खुलासा हुआ कि चंद्रमा तिवारी अपने 2 भाइयों (बालगोविंद तिवारी और राघवेंद्र तिवारी) के साथ मिलकर जिस जमीन पर पेट्रोल पंप बनवा रहा है, वो असल में सरकारी जमीन है।

चंद्रमा तिवारी ने अप कलेक्टर के आदेश को दिखाया ठेंगा: अपर कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लिया और खुद माना कि जिस जमीन पर पेट्रोल पंप बन रहा है वो शासन की जमीन है। इसके बाद अपर कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से जमीन पर चल रहे अवैध निर्माणाधीन पेट्रोल पंप का काम रोकते हुए स्थगन आदेश दिनांक 27-10-2025 को निगरानी प्रकरण क्रमांक 0069/निगरानी/23-24 पर यथास्थिति कायम करने का आदेश जारी किया है। लेकिन अपर कलेक्टर के आदेश के बाद उस जमीन पर जोरशोर से काम चल रहा है।

साल 1993 से चल रहा है अवैध कब्जा का खेल: चंद्रमा तिवारी के पिता जमुना प्रसाद तिवारी ने साल 1993-94 में शासन की जमीन पर अवैध कब्जा किया. एक जमीन (खसरा क्रमांक 179/3) पर खुद कब्जा करके मालिकाना हक का फर्जी दस्तावेज बनवाया और सांठगांठ करके दूसरी जमीन (खसरा क्रमांक 179/2) का पट्टा अपनी बहन सुशीला के नाम पर करवा दिया।

जमीन बेचने के नाम पर कई लोगों से की ठगी : चंद्रमा तिवारी ने जमीन बेचने के नाम पर कई लोगों से ठगी की है. उसने अपनी बुआ की जमीन को रोड के सामने की भूमि बताकर 13 से 14 लोगों को बेच दी और लाखों रुपये ऐंठ लिए. बाद में खुलासा हुआ कि बेची गई भूमि रोड किनारे ना होकर दूसरी जगह पर है। अब तक उन मासूमों को अपने खून-पसीने की कमाई के पैसों के बदले में जमीन नहीं मिली है और वे दर-दर ठोकरें खा रहे हैं।

एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई

फर्जी डी.एड. अंकसूचियों से शासकीय शिक्षक बने 8 शिक्षकों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध

भोपाल। मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल की फर्जी एवं कूटरचित डी.एड. (डिप्लोमा इन एजुकेशन) अंकसूची का उपयोग कर शासकीय शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों तथा उनसे जुड़े संगठित गैंग के विरुद्ध विशेष कार्रवाई करते हुए एसटीएफ मध्यप्रदेश द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा द्वारा संगठित अपराध एवं संगठित अपराधी गैंग के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में एसटीएफमप्र को जानकारी प्राप्त हुई कि मप्र शिक्षा विभाग में कुछ व्यक्तियों द्वारा संगठित गैंग के साथ मिलकर फर्जी एवं कूटरचित डी.एड. की अंकसूचियां तैयार की जाकर शासकीय शिक्षक की नौकरी में उपयोग कर सरकारी नौकरी का लाभ ले रहे हैं। सूचना पर विशेष पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक एसटीएफ इकाई ग्वालियर श्री राजेश सिंह भदौरिया, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ मुख्यालय श्री नवीन कुमार चौधरी तथा उप पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ इकाई ग्वालियर श्री प्रवीण सिंह बघेल के नेतृत्व में 05 सदस्यीय विशेष टीम द्वारा गोपनीय सत्यापन किया गया। संबंधित शिक्षा कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि जिन डी.एड. अंकसूचियों के आधार पर शिक्षकों ने नौकरी प्राप्त की, वे या तो जारी नहीं की गई थीं अथवा अन्य व्यक्तियों को जारी की गई थीं। गोपनीय सत्यापन के आधार पर 08 शिक्षक- श्री गंधर्व सिंह रावत, श्री साहब सिंह कुशवाह,श्री बृजेश रोरिया,श्री महेन्द्र सिंह रावत,श्री लोकेन्द्र सिंह,सुश्री रूबी कुशवाह,श्री रविन्द्र सिंह राणा एवं श्री अर्जुन सिंह चौहान के विरुद्ध थाना एसटीएफ भोपाल में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

मुजफ्फरनगर छात्र उज्जवल राणा की आत्मदाह घटना पर भोपाल में विरोध प्रदर्शन, दोषियों पर कार्रवाई की मांग।

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

भोपाल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में डीएवी कॉलेज के छात्र उज्जवल राणा की आत्मदाह से हुई मौत के खिलाफ भोपाल में अजाक्सङ्क्स्ष्ट/स्ज्ञ युवाछात्र संघ और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (स्न्नद्ब) ने दिनांक 10 नवंबर को रोशनपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। संगठनों ने पोस्टर और नारेबाजी के माध्यम से घटना की कड़ी निंदा की और सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह घटना शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते व्यावसायीकरण और फीस प्रताड़ना की भयावह सच्चाई को उजागर करती है। मामला 7 नवंबर 2025 का है, जब मुजफ्फरनगर के डीएवी कॉलेज के छात्र उज्जवल राणा को फीस न भर पाने के कारण परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया था। बताया जा रहा है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा अपमानित किए जाने के बाद उज्जवल ने आत्मदाह कर लिया। गंभीर रूप से झुलसे उज्जवल को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 9 नवंबर को उसकी मृत्यु हो गई। विरोध प्रदर्शन में वक्ताओं ने कहा कि यह केवल एक छात्र की नहीं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाने वाली घटना है। उन्होंने कहा, शिक्षा का व्यापारिकरण छात्रों को आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है। यह संविधान और शिक्षा के अधिकार पर सीधा हमला है। अजाक्स युवाछात्र संघ के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष लक्ष्य भारतीय ने कहा कि सरकार को तुरंत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

मनुष्यों के वर्ण भले ही अलग-अलग क्यों ना हों तथापि उन सभी की जातियां एक होती हैं

(हिंदुओं की जाति और वर्ण व्यवस्था के विषय पर इंजी. संतोष कुमार मिश्र असाधु द्वारा प्रस्तुत अभिनव शोध पत्र)

कैलाश कुमार - सह संपादक (युवा प्रदेश)

जबलपुर - नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हिंदुत्व के विमर्श- चुनौतियां , समाधान और भविष्य के ज्वलंत मुद्दों पर श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विशविद्यालय नई दिल्ली,हिंदू अध्ययन केंद्र , दिल्ली यूनिवर्सिटी, विश्व संवाद केंद्र एवं भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद ,नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 7 एवं 8 नवंबर 2025 को एक वृहद संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें देश-विदेश से लगभग 450 से अधिक शोध पत्र प्राप्त हुए। इस परिप्रेक्ष्य में रामायण केंद्र जबलपुर इकाई के संयोजक एवं धर्म,आध्यात्म व दर्शन के क्षेत्र में देश-विदेश में तेजी से उभरते , प्रसिद्ध धार्मिक चिंतक इंजी. संतोष कुमार मिश्र असाधु जोकि वर्तमान में मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर में अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत हैं,के द्वारा हिंदुओं के मध्य जाति और वर्ण व्यवस्था के विषय पर एक बेहद महत्वपूर्ण शोधपत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें यह साफ़-साफ़ बताया गया कि जाति प्रथा

वस्तुतः किसी व्यक्ति के कर्म आश्रित एक बाह्य पदवी मात्र है जबकि वर्ण व्यवस्था उसके आंतरिक आत्मिक-प्रकाश का विज्ञान है। आपको यह जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा कि हमारे सनातन धर्म के प्राचीन धर्म-शास्त्रों के अनुसार मनुष्यों के मध्य में कोई जाति भेद कदापि नहीं होता है अपितु मनुष्य स्वयं में ही एक जाति है। स्कंदपुराण एवं मनुस्मृति का संदर्भ देते हुए श्री मिश्र जी ने बताया कि जन्म से सभी मनुष्य शूद्र वर्ण के होते हैं और संस्कार होने पर ही वे द्विज और उच्च वर्ण की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। वर्ण व्यवस्था वास्तव में ईश्वरकृत एक दोषरहित तथा अनादिकालीन ब्रह्मांडीय व्यवस्था है ,जिसके सृजनकर्ता और संरक्षक स्वयं ईश्वर होते हैं। यही मूल कारण है कि वर्ण व्यवस्था में न तो कोई छुआछूत होता है और ना ही कोई ऊंच या नीच, यह वस्तुतः व्यक्ति के गुण और कर्म के अनुरूप बनाई गई है। यह व्यवस्था ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित एक विराट पुरुष के अखण्ड शरीर के विभिन्न भागों में व्याप्त आत्मिक चेतना की मात्रा जोकि उसके आभा मंडल के रूप में प्रतिबिंबित होती है, उसका ही आध्यात्मिक तौर पर संकेत किया गया है। हिन्दुओं के मध्य में अंधविश्वास, जातीय आधार पर छुआछूत और ऊंच-नीच जैसी दुष्प्रचारित बुराईयों को दूर कर उनकी एकता की दिशा में इस ज्वलंत विषय पर अपने शोधपत्र का प्रस्तुतीकरण किया गया जिसकी वहां काफी सराहना की गई । जन जागृति की दिशा में इस तरह के अभिनव कार्य करते हुए श्री मिश्र जी ने संस्कारधानी जबलपुर का नाम अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर पुनः गौरवान्वित किया है। कवि संगम त्रिपाठी संस्थापक प्रेरणा हिंदी प्रचारिणी सभा ने बधाई देते हुए बताया कि इंजिनियर संतोष कुमार मिश्र % असाधु % अध्यात्म, धर्म, संस्कृति व साहित्य को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

ग्राम भाडोन के विद्यार्थियों की बस समस्या पर कलेक्टर ने दिए निर्देश, खराब रास्ते और ट्रांसफार्मर की वजह से नहीं पहुँच रही बस।

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

उदयपुरा रायसेन। ग्राम पंचायत भाडोन के विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय बस सेवा बहाल करने की मांग को लेकर दिए गए ज्ञापन पर अब जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान माननीय कलेक्टर महोदय ने संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि ग्राम नरेहरा के रास्ते में खंभा, ट्रांसफार्मर और खराब सड़क के कारण 52 सीटर स्कूल बस वहाँ तक नहीं जा पा रही है, जिसके चलते भाडोन सहित आसपास के विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने में भारी परेशानी हो रही है।

इस स्थिति से नाराज़ विद्यार्थियों और अभिभावकों ने कहा कि –

सड़क और ट्रांसफार्मर की समस्या का खामियाजा बच्चों को क्यों भुगतना पड़ रहा है? नियमित बस सेवा बंद होने से विद्यार्थी विद्यालय नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और परीक्षाएँ प्रभावित हो रही हैं। ग्रामवासियों ने प्रशासन से यह भी आग्रह किया कि जब तक खंभे और डीपी को हटाया जाए या रास्ते की मरम्मत नहीं होती, तब तक बस के लिए वैकल्पिक मार्ग या अस्थायी व्यवस्था की जाए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। ज्ञात हो कि इस विषय पर विद्यार्थियों ने 27 अक्टूबर 2025 को तहसीलदार उदयपुरा को ज्ञापन सौंपा था, पर कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर उन्होंने 11 नवंबर 2025 को जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर महोदय को आवेदन देकर अपनी समस्या दोबारा रखी।

मुख्य मांग

ग्राम भाडोन तक बस सेवा शीघ्र प्रारंभ की जाए ताकि विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित रह सके। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से- ग्राम भाडोन के विद्यार्थी एवं अभिभावक शामिल रहे।

थाना रामनगर पुलिस की नशे के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, अवैध स्मैक (ब्राउन शुगर) रखने वाला पकड़ाया

कैलाश कुमार - सह संपादक (युवा प्रदेश)

राजनगर - पुलिस अधीक्षक श्री मोती उर रहमान के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जगन्नाथ मरकाम एवं एस.डी.ओ.पी. कोतमा श्रीमति आरती शाक्य के मार्गदर्शन में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना रामनगर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 12 नवम्बर 2025 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति स्मैक (ब्राउन शुगर) का अवैध रूप से विक्रय करने की फिराक में है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा संदेही व्यक्ति को पकड़कर तलाशी ली गई, जिसके कब्जे से 1.04 ग्राम स्मैक (ब्राउन शुगर) बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी की पहचान चंचल गुप्ता उर्फ सनी उर्फ चार्ली पिता गौरी गुप्ता उम्र 28 वर्ष निवासी गोपाल पंडाल, राजनगर थाना रामनगर के रूप में की है। आरोपी से बरामद मादक पदार्थ को जप्त कर थाना रामनगर में अपराध क्रमांक 304/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। थाना प्रभारी सुमित कौशिक ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और यह जांच की जा रही है कि वह मादक पदार्थ कहाँ से लाया था। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी सुमित कौशिक, एएसआई अशोक सिंह, प्रधान आरक्षक सनत द्विवेदी, प्रधान आरक्षक अमित पटेल, प्रधान आरक्षक निरंजन खलखो, प्रधान आरक्षक राहुल प्रजापति, आरक्षक अनुराग भार्गव एवं अनुराग सिंह की भूमिका सराहनीय रही।

कोयला खान भविष्य निधि संगठन एवं एसईसीएल के संयुक्त तत्वावधान में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 4.0 का शुभारंभ

कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

जमुना कोतमा। जमुना कॉलोनी के बंकिम बिहार में हुआ विशेष शिविर — सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कराया डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र, जमुना कोतमा कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कोयला खान भविष्य निधि संगठन (ष्टरूक्कस्नह), क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर एवं साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (स्श्वष्टरु) के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 4.0 के अंतर्गत विशेष शिविर का आयोजन जमुना कॉलोनी स्थित बंकिम बिहार परिसर में किया गया अभियान के तहत 1 से 30 नवम्बर 2025 तक देशभर के पेंशनभोगियों को अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (ष्ठरुष्ट) जमा करने की सुविधा प्रदान की जा रही है इसी क्रम में 13 एवं 14 नवम्बर को जमुना कोतमा क्षेत्र में यह विशेष शिविर आयोजित

किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पेंशनभोगियों ने भाग लिया और डिजिटल माध्यम से अपने जीवन प्रमाण प्रस्तुत किए शिविर में पेंशनभोगियों को मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई गई अभियान का उद्देश्य पेंशनभोगियों को डिजिटल सुविधा देकर उनके पेंशन भुगतान में निरंतरता बनाए रखना है कार्यक्रम में उपस्थित आयोजक धर्मा राव ने बताया कि यह डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए विशेष कैंप लगाया गया है एसईसीएल और सीएमपीएफओ मिलकर यह निर्णय लिया गया है कि पेंशनभोगियों के घर-घर जाकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे, जिससे वे अपने घर से ही ऑनलाइन जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकें दो दिवसीय इस शिविर में आज लगभग 400 लोगों का लाइफ सर्टिफिकेट तैयार किया गया है, और यह प्रक्रिया कल भी जारी रहेगी पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ने कहा कि सीनियर सिटीजन के हित में यह अत्यंत सराहनीय पहल है पहले पेंशनभोगियों को जीवित प्रमाण पत्र के लिए भटकना पड़ता था, अब यह सुविधा उन्हें घर पर ही उपलब्ध हो रही है साथ ही, सीएमपीएफओ द्वारा पूर्व में लगाए जाने वाले लोक अदालतों को पुनः प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है बंकिम बिहार के केयरटेकर सुखविंदर सिंह ने बताया कि शिविर में आए सभी सेवानिवृत्त कोयला कर्मियों के रहने और भोजन की पूरी व्यवस्था प्रबंधन द्वारा की गई थी, ताकि किसी को कोई असुविधा न हो अभियान को सफल बनाने में स्थानीय प्रशासन, एसईसीएल कर्मियों एवं पेंशनर एसोसिएशन का विशेष सहयोग रहा।

किसानों के लिए सम्मान और समृद्धि का प्रतीक बनी भावान्तर योजना : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भावांतर भुगतान, अन्नदाता के उत्थान का पर्याय है। अन्नदाता को दी गई एमएसपी की गारंटी की पूर्ति करते हुए सोयाबीन भावांतर योजना में 1 लाख 33 हजार किसानों के खाते में 233 करोड रुपए की राशि अंतरित की गई है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमने जो कहा उसे कर दिखाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में अनेक किसान हितैषी योजनाएं संचालित की जा रही है। मध्यप्रदेश किसानों को उपज का उचित लाभ दिलवाने के लिए भावान्तर योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। पिछले साल सोयाबीन का भाव 4800 रुपए था, इस बार किसानों को 500 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ देकर 5300 रुपए से अधिक कीमत पर सोयाबीन खरीदा जा रहा है। भावान्तर योजना के लिए प्रदेश में 9 लाख से अधिक किसानों ने सोयाबीन बेचने के लिए पंजीयन किया। आज 1.33 लाख किसानों के खाते में राशि भेजी गई है। हमारी सरकार ने योजना की शुरुआत करने के 15 दिन में ही किसानों से किया वादा पूरा किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को देवास से प्रदेश के 1.33 लाख सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावान्तर योजना के अंतर्गत 233 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करने के बाद विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ कर कन्या-पूजन भी किया। वंदे मातरम के गान ने वातावरण को देशभक्ति की भावना का संचार किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देवास जिले के सर्वांगीण विकास के लिए 183.25 करोड़ लागत के विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया। साथ ही हितग्राहियों को जैविक खेती, कृषि यंत्र एवं पीएमएफएमई सहित विभिन्न योजनाओं में हितलाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कृषि यंत्रों एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करने वाली प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में वर्ष-2026 को कृषि आधारित उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भावांतर योजना पंजीकृत किसान 15 जनवरी तक अपनी सोयाबीन मंडियों में बेच सकेंगे। पूरे प्रदेश में 220 से अधिक मुख्य मंडियों और 80 उप मंडियों में खरीदी की जा रही है। रेट पारदर्शी तरीके से तय हो रहे हैं, सारी प्रक्रिया ई-मंडी पोर्टल पर है, किसान का डाटा अपने आप दिख रहा है।

राज्य स्तरीय अंगुल चिन्ह विशेषज्ञ कार्यशाला में फिंगर प्रिंट मैनुअल 2025 का विमोचन

भोपाल। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय के तत्वावधान में 13 नवम्बर 2025 को पुलिस मुख्यालय के नवीन सभागार में प्रदेश के सभी जोन एवं जिलों में पदस्थ अंगुल चिन्ह विशेषज्ञों की राज्य स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में अंगुल चिन्ह विशेषज्ञों के कार्य को अधिक प्रभावी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाना रहा। इस कार्यशाला की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, श्री जयदीप प्रसाद द्वारा की गई। कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री जयदीप प्रसाद ने बताया कि मध्यप्रदेश, अंगुल चिन्ह संबंधी कार्यों में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि NAFIS (National Automated Fingerprint Identification System) के माध्यम से अपराधियों की पहचान एवं अपराध

अन्वेषण में राज्य का योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने सभी विशेषज्ञों को निर्देशित किया कि वे अपने कार्य में तकनीकी नवाचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यवसायिक दक्षता को प्राथमिकता दें, ताकि अपराधों की जांच और अपराधियों की पहचान में और अधिक तेजी लाई जा सके। कार्यशाला में केंद्रीय अंगुल चिन्ह ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की निदेशक डॉ. श्रीमती एस. इंदिरा सुधा द्वारा अंगुल चिन्ह तकनीक के नवीनतम आयामों पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। उन्होंने देशव्यापी अनुभव साझा करते हुए मध्यप्रदेश के अंगुल चिन्ह विशेषज्ञों को उन्नत तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया। इस अवसर पर फिंगर प्रिंट मैनुअल 2025 का विमोचन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा किया गया। यह मैनुअल राज्य में अंगुल चिन्ह संबंधी कार्यों के लिए एक अद्यतन दिशा-निर्देश दस्तावेज के रूप में उपयोगी सिद्ध होगा। फिंगर प्रिंट मैनुअल 2025 न केवल अपराध जांच की सटीकता और गति बढ़ाएगा।

स्वत्वाधिकारी,मुद्रक,प्रकाशक एवं संपादक नागेश नरवरिया द्वारा जय माता प्रिंटर्स म.नं. 1 अमर दाल मिल के पास पेमदीपुरा चिकलोद रोड के पास बापू कालोनी जहांगीराबाद भोपाल मप्र से मुद्रित एवं म.नं. 51 एक्सटेंशन शिवलोक कॉलोनी फेस-3, खजूरी कलां रोड,तह. हुजूर जिला भोपाल से प्रकाशित। **संपादक :-** नागेश नरवरिया (समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)